



मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 87वीं बोर्ड बैठक
दिनांक 20.12.2014 की कार्यवाही



आज दिनांक 20.12.2014 को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 87 वीं बोर्ड बैठक प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सी0एस0 नपलच्याल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नानुसार सदस्यों एवं अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया:-

उपरिस्थिति:-

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | श्री सी0एस0 नपलच्याल, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, | अध्यक्ष |
| 2. | श्री आर0मीनाक्षी सुन्दरम, उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण | उपाध्यक्ष, |
| 3. | श्री चन्द्रेश कुमार, जिलाधिकारी देहरादून। | सदस्य |
| 4. | श्री अरुणेन्द्र चौहान, अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन | सदस्य |
| 5. | श्री सुभाष गुप्ता, संयुक्त सचिव उत्तराखण्ड शासन | सदस्य |
| 6. | श्री हर्षवर्धन मिश्रा, अपर मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून | सदस्य |
| 7. | श्री एस0के0पन्त, वरिष्ठ नगर एवं ग्राम नियोजक | सदस्य |
| 8. | श्री एस0सी0पन्त अधिशासी अभियंता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून | सदस्य |
| 9. | श्री वी0सी0पुरोहित, जल निगम, देहरादून। | सदस्य |

अन्य उपस्थिति:-

1. सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
2. मुख्य लेखाधिकारी, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
3. नगर नियोजक, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
4. अधिशासी अभियंता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण

गैर सरकारी सदस्य:

1. श्री विजय बग्गा, सभासद नगर निगम
2. श्री मंगेश कुमार, सभासद नगर निगम
3. श्री प्रदीप गोयल, सभासद नगर निगम



सर्वप्रथम उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया एवं पूर्व में प्राप्त अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में अवगत कराया गया तथा प्राधिकरण की 86 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया एवं एजेण्डा बिन्दु को पढ़ने हेतु अनुमति प्रदान की गयी:-

विषय क्रमांक 1 :- वित्तीय वर्ष 2014-15 के राजस्व व पूंजीगत व्यय की मदों में पुनर्विनियोग का प्रस्ताव।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में राजस्व व्यय के पुनर्विनियोग प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी एवं पूंजीगत व्यय के लिए प्रस्तर 1 व 2 पर सहमति प्रदान करते हुए प्रस्तर 3 के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रकरण का पूर्ण परीक्षण किया जाये कि कितने कर्मचारी लाभान्वित होंगे और क्या वित्तीय भार प्राधिकरण पड़ेगा। इसका परीक्षण कर आख्या के साथ प्रकरण आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाये तथा कम्प्यूटर क्रय मद में अवशेष धनराशि को विकास कार्यों के मद में स्थानान्तरित करने एवं इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी देहरादून द्वारा भूमि-अधिग्रहण मद में धनराशि बढ़ाने का परामर्श दिया गया जिस पर बोर्ड की सहमति प्रदान की गयी। इसके साथ ही One Time Settlement से प्राप्त होने वाली आय को विकास कार्यों में खर्च करने हेतु सहमति प्रदान की गयी।

बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि छत्तीसगढ़ में न्यू रायपुर शहर बनाया गया है, जिसके अध्ययन के लिए एक समिति गठित कर भ्रमण के लिए भेजी जाये इसके अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक देहरादून में नगर विकास से सम्बन्धित अखिल भारतीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन करें जिसमें नगर विकास से सम्बन्धित विशेषज्ञों को बुलाया जाये।

उक्त दोनों कार्यों का व्यय प्रशिक्षण मद की अवशेष धनराशि से किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की गयी।

विषय क्रमांक 2 :- उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को अंशदान के रूप में धनराशि उपलब्ध कराने हेतु अनुपूरक नयी मांग की स्वीकृति।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के दौरान प्रस्तावित उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को अंशदान के रूप में धनराशि उपलब्ध कराने हेतु अनुपूरक नयी मांग को सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी।



विषय क्रमांक 3 :- प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों को राज्य कर्मचारियों की भौति शासनादेशों को लागू करने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के दौरान बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि शासनादेश के क्रियान्वयन के लिए आगामी बोर्ड बैठक में अनुमोदन के लिए रखा जाये। आगामी बैठक से पूर्व प्रकरण का भली भौति परीक्षण करा लिया जाये व परीक्षण आख्या भी आगामी बैठक में रखी जाये।

विषय क्रमांक 4 :- वाद पत्रावली सं० आर-0701/एस-6/2010 कर्नल एस० पी० भारद्वाज द्वारा भूमि खसरा 927,941,942 मौजा धौलास परगना पछवादून तहसील विकासनगर, जिला देहरादून में भवन मानचित्र शमन करने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गयी एवं अवगत कराया गया कि शासन द्वारा प्रश्नगत प्रकरण का भू-उपयोग भी संशोधित कर दिया गया है अतः शासनादेश दिनांक 16, सितम्बर 2013 के क्रम में बोर्ड द्वारा मानचित्र को स्वीकृत करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय क्रमांक 5:- मौजा- ग्राम-नत्थनुपर परगना-परवादून देहरादून पर श्रीमती निलीमा पत्नी श्री इन्द्रेश कुमार द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये बारात घर का निर्माण करने के कारण उनके विरुद्ध वाद संख्या सी- 0096/एस-5/2014 को शमन करने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के दौरान सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव भवन उपविधि 2011 के अनुसार है अतः स्वीकृति प्रदान की जाये। चर्चा के दौरान संज्ञान में लाया गया कि मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई को मानचित्र स्वीकृति हेतु माना जाये या नहीं। मुख्य नगर नियोजक ने भवन उपविधि 2011 के प्राविधान संख्या 2.1.2 (1) का उल्लेख करते हुए अवगत कराया गया कि उक्त नियम में यह व्यवस्था है कि मार्ग के निर्धारण हेतु प्रत्येक यूज जोन में वर्णित पहुँच मार्ग की चौड़ाई अथवा वर्तमान मार्ग जिनकी चौड़ाई महायोजना/जोनल प्लान / ले आउट प्लान में निर्धारित है, के अनुसार है, अनुमन्य होगी। विद्यमान मार्ग की चौड़ाई 18 मीटर है।

अतः प्रस्तुत मानचित्र भवन उपविधि 2011 के प्राविधानों के अनुसार मानचित्र को शमन करने हेतु बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की गयी।



विषय क्रमांक 6 :- मौजा-नत्थनपुर देहरादून पर श्री सौरभ कौशल, गौरव कौशल पुत्र गण सत्य प्रकाश कौशल द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये बारात घर का निर्माण करने के कारण उनके विरुद्ध वाद संख्या सी- 466/एस-3/2006 को शमन करने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के दौरान सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव भवन उपविधि 2011 के अनुसार है अतः स्वीकृति प्रदान की जाये। चर्चा के दौरान यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई को मानचित्र स्वीकृति हेतु माना जाये या नहीं। मुख्य नगर नियोजक ने भवन उपविधि 2011 के प्राविधान संख्या 2.1.2 (1) का उल्लेख करते हुए अवगत कराया गया कि उक्त नियम में यह व्यवस्था है कि मार्ग के निर्धारण हेतु प्रत्येक यूज जोन में वर्णित पहुँच मार्ग की चौड़ाई अथवा वर्तमान मार्ग जिनकी चौड़ाई महायोजना/जोनल प्लान / ले आउट प्लान में निर्धारित है, के अनुसार है, अनुमन्य होगी। मास्टर प्लान सड़क की चौड़ाई 24.00 मीटर है एव विद्यमान मार्ग की चौड़ाई 12 मीटर है। भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 4,453.00 वर्ग मीटर है। भूखण्ड की न्यूनतम चौड़ाई 46.00 मीटर है।

अतः प्रस्तुत मानचित्र भवन उपविधि 2011 के प्राविधानों के अनुसार मानचित्र को स्वीकृत करने हेतु बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

विषय क्रमांक 7 :- मौजा-नत्थनपुर देहरादून पर श्री सुनील कुमार, कीर्ति सिंह, श्री दीपक श्री अकिंत एवं श्रीमती अनीता यादव द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये बारात घर का निर्माण करने के कारण उनके विरुद्ध वाद संख्या सी- 134/एस-3/2010 के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के दौरान सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव भवन उपविधि 2011 के अनुसार है अतः स्वीकृति प्रदान की जाये। चर्चा के दौरान यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई को मानचित्र स्वीकृति हेतु माना जाये या नहीं। मुख्य नगर नियोजक ने भवन उपविधि 2011 के प्राविधान संख्या 2.1.2 (1) का उल्लेख करते हुए अवगत कराया गया कि उक्त नियम में यह व्यवस्था है कि मार्ग के निर्धारण हेतु प्रत्येक यूज जोन में वर्णित पहुँच मार्ग की चौड़ाई अथवा वर्तमान मार्ग जिनकी चौड़ाई महायोजना/जोनल प्लान / ले आउट प्लान में निर्धारित है, के अनुसार है, अनुमन्य होगी। मास्टर प्लान में 24.00 मीटर रोड है प्रस्तावित है एव विद्यमान मार्ग की चौड़ाई 12 मीटर है। भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 3954.00 वर्ग मीटर है। भूखण्ड की न्यूनतम चौड़ाई 37.00 मीटर है।



अतः प्रस्तुत मानचित्र भवन उपविधि 2011 के प्राविधानो के अनुसार मानचित्र को शमन करने हेतु बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

विषय क्रमांक 8 :- सम्पत्ति संख्या-34, ई0सी0रोड देहरादून पर श्री अनिरुद्ध चन्द्र पुत्र श्री राजा राना योगेन्द्र चन्द्र द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये बारात घर का निर्माण करने के कारण उनके विरुद्ध वाद संख्या सी- 409/एस-3/2010 को शमन करने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के दौरान सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव भवन उपविधि 2011 के अनुसार है अतः स्वीकृति प्रदान की जाये। चर्चा के दौरान यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई को मानचित्र स्वीकृति हेतु माना जाये या नहीं। मुख्य नगर नियोजक ने भवन उपविधि 2011 के प्राविधान संख्या 2.1.2 (1) का उल्लेख करते हुए अवगत कराया गया कि उक्त नियम में यह व्यवस्था है कि मार्ग के निर्धारण हेतु प्रत्येक यूज जोन में वर्णित पहुँच मार्ग की चौड़ाई अथवा वर्तमान मार्ग जिनकी चौड़ाई महायोजना/जोनल प्लान / ले आउट प्लान में निर्धारित है, के अनुसार है, अनुमन्य होगी। मास्टर प्लान में सड़क की चौड़ाई 24 मीटर है एवं स्थल पर ईसी रोड की विद्यमान चौ0 18.50 मी0 है।

अतः प्रस्तुत मानचित्र भवन उपविधि 2011 के प्राविधानो के अनुसार मानचित्र को शमन करने हेतु बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

विषय क्रमांक 9 :-मानचित्र संख्या सी-0062/2014-15-RE-1 के अन्तर्गत खसरा नं0 673, 674, 675, 676, 677 एवं 706 स्थित मौजा पौधा पछवादून श्रीमती ऊषा शर्मा, श्री नवीन शर्मा एवं श्री अनिरुद्ध रैथवान द्वारा होटल निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव का पुनः परीक्षण करने तथा स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिये गये। स्थलीय निरीक्षण में पहुँच मार्ग तथा प्रस्तावित निर्माण से आसपास के निवासरत व्यक्तियों को परेशानी तो नहीं होगी इस आख्या के साथ प्रकरण अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।



विषय क्रमांक 10 :-मानचित्र संख्या सी-0096/14-15 के अन्तर्गत खसरा नं0 832, 834, 835, 837 स्थित मौजा नत्थनपुर, केन्द्रीयदून श्रीमती शिखा भद्री पत्नी श्री रमेश भद्री, श्री रमेश भद्री पुत्र श्री सत्येश्वर भद्री, ए0एस0 कोठारी द्वारा होटल निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विस्तृत चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रस्ताव भवन उपविधि 2011 के अनुसार है अतः स्वीकृति प्रदान की जाये। चर्चा के दौरान यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई को मानचित्र स्वीकृति हेतु माना जाये या नहीं। मुख्य नगर नियोजक ने भवन उपविधि 2011 के प्राविधान संख्या 2.1.2 (1) का उल्लेख करते हुए अवगत कराया गया कि उक्त नियम में यह व्यवस्था है कि मार्ग के निर्धारण हेतु प्रत्येक यूज जोन में वर्णित पहुँच मार्ग की चौड़ाई अथवा वर्तमान मार्ग जिनकी चौड़ाई महायोजना/जोनल प्लान / ले आउट प्लान में निर्धारित है, के अनुसार है, अनुमन्य होगी। मास्टर प्लान में सड़क की चौड़ाई 24 मीटर है एवं विद्यमान मार्ग की चौड़ाई 8.00 मी0 है।

अतः प्रस्तुत मानचित्र भवन उपविधि 2011 के प्राविधानो के अनुसार मानचित्र को स्वीकृत करने हेतु बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

विषय क्रमांक 11:-मानचित्र संख्या सी-0166/2014-15 के अन्तर्गत खसरा नं0 1957क, स्थित मौजा अजबपुरकला, केन्द्रीय दून श्री मंजीत सिंह द्वारा बारातघर के निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के दौरान सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव भवन उपविधि 2011 के अनुसार है अतः स्वीकृति प्रदान की जाये। चर्चा के दौरान यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई को मानचित्र स्वीकृति हेतु माना जाये या नहीं। मुख्य नगर नियोजक ने भवन उपविधि 2011 के प्राविधान संख्या 2.1.2 (1) का उल्लेख करते हुए अवगत कराया गया कि उक्त नियम में यह व्यवस्था है कि मार्ग के निर्धारण हेतु प्रत्येक यूज जोन में वर्णित पहुँच मार्ग की चौड़ाई अथवा वर्तमान मार्ग जिनकी चौड़ाई महायोजना/जोनल प्लान / ले आउट प्लान में निर्धारित है, के अनुसार है, अनुमन्य होगी। मास्टर प्लान में सड़क की चौड़ाई 30 मीटर है एव विद्यमान मार्ग की चौड़ाई 10.50 मी0 है।

अतः प्रस्तुत मानचित्र भवन उपविधि 2011 के प्राविधानो के अनुसार मानचित्र को स्वीकृत करने हेतु बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की गयी।



विषय क्रमांक 12:—मानचित्र संख्या सी-0169/2014-15 के अन्तर्गत खसरा नं0 178, 179ग, स्थित मौजा कुल्हान करनपुर परवादून श्रीमती गगनदीप चावला द्वारा व्यावसायिक/वाणिज्यिक निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के दौरान सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव भवन उपविधि 2011 के अनुसार है अतः स्वीकृति प्रदान की जाये। चर्चा के दौरान यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई को मानचित्र स्वीकृति हेतु माना जाये या नहीं। मुख्य नगर नियोजक ने भवन उपविधि 2011 के प्राविधान संख्या 2.1.2 (1) का उल्लेख करते हुए अवगत कराया गया कि उक्त नियम में यह व्यवस्था है कि मार्ग के निर्धारण हेतु प्रत्येक यूज जोन में वर्णित पहुँच मार्ग की चौड़ाई अथवा वर्तमान मार्ग जिनकी चौड़ाई महायोजना/जोनल प्लान / ले आउट प्लान में निर्धारित है, के अनुसार है, अनुमन्य होगी। विद्यमान मार्ग की चौड़ाई 21.34 मी0 है। स्थल के सामने प्रस्तावित 33.00 मीटर महायोजना मार्ग है एवं विद्यमान मार्ग की चौ0 21.34 मी0 है।

अतः प्रस्तुत मानचित्र भवन उपविधि 2011 के प्राविधानों के अनुसार मानचित्र को स्वीकृत करने हेतु बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

विषय क्रमांक 13:—मानचित्र संख्या सी0-0068/14-15 आरई-1 स्थल खसरा नं0 388 (ख) एवं 388(झ) स्थित मौजा कोटला सन्तौर में नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ ऐरोनोटिकल एजेकेशन सोसायटी द्वारा हॉस्टल भवन निर्माण हेतु मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के दौरान सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव भवन उपविधि के अनुसार है अतः शासनादेश दिनांक 10 जनवरी 2014 के क्रम में मानचित्र स्वीकृत करने हेतु सहमति प्रदान की गयी। विद्यमान 6.00 मीटर मार्ग पर स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ दी गयी है।



विषय क्रमांक 14 :- मौजा आमवाला तरला मुख्य सहस्त्रधारा रोड देहरादून पर श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये बारात घर का निर्माण करने पर वाद संख्या सी-218/एस-4/08 के द्वारा योजित वाद को शमन करने के सम्बन्ध मे।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के दौरान सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव भवन उपविधि 2011 के अनुसार है स्थल के सम्मुख 33 मी0 चौडी महायोजना मार्ग स्थित है एव विद्यमान मार्ग की चौड़ाई 21.65 मीटर है। अतः स्वीकृति प्रदान कर दी जाये।

विषय क्रमांक 15 :- मौजा अजबपुरकलां मोथरोवाला रोड देहरादून पर श्री बीरजंगसिंह चन्देल द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये बारात घर का निर्माण करने के कारण उनके विरुद्ध वाद संख्या 1340/एस-1/2003 को शमन करने के सम्बन्ध मे।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के दौरान सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव भवन उपविधि 2011 के अनुसार है अतः स्वीकृति प्रदान की जाये। चर्चा के दौरान यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई को मानचित्र स्वीकृति हेतु माना जाये या नहीं। मुख्य नगर नियोजक ने भवन उपविधि 2011 के प्राविधान संख्या 2.1.2 (1) का उल्लेख करते हुए अवगत कराया गया कि उक्त नियम में यह व्यवस्था है कि मार्ग के निर्धारण हेतु प्रत्येक यूज जोन में वर्णित पहुँच मार्ग की चौड़ाई अथवा वर्तमान मार्ग जिनकी चौड़ाई महायोजना/जोनल प्लान / ले आउट प्लान में निर्धारित है, के अनुसार है, अनुमन्य होगी। मास्टर प्लान में सड़क की चौड़ाई 30 मीटर है एव स्थल पर विद्यमान रोड की चौ0 9.00 मी0 है।

अतः प्रस्तुत मानचित्र भवन उपविधि 2011 के प्राविधानो के अनुसार मानचित्र को शमन करने हेतु बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की गयी।



विषय क्रमांक 16 :- दून यूनिवर्सिटी रोड पर राज्य सम्पत्ति अनुभाग आवासीय कालोनी के सामने लगभग 35 गुणा 34 फिट की माप में टिन शेड युक्त बुडन रेस्टोरैन्ट एवं लगभग 53 गुणा 10 फिट के क्षेत्रफल में टायलट ब्लॉक, का निर्माण करने के कारण वाद संख्या सी0 -257 /एस-03/14 योजित है, उक्त स्थल को बारातघर हेतु शमनित करने के सम्बन्ध में

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के दौरान सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव भवन उपविधि 2011 के अनुसार है अतः स्वीकृति प्रदान की जाये। चर्चा के दौरान यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई को मानचित्र स्वीकृति हेतु माना जाये या नहीं। मुख्य नगर नियोजक ने भवन उपविधि 2011 के प्राविधान संख्या 2.1.2 (1) का उल्लेख करते हुए अवगत कराया गया कि उक्त नियम में यह व्यवस्था है कि मार्ग के निर्धारण हेतु प्रत्येक यूज जोन में वर्णित पहुँच मार्ग की चौड़ाई अथवा वर्तमान मार्ग जिनकी चौड़ाई महायोजना/जोनल प्लान / ले आउट प्लान में निर्धारित है, के अनुसार है, अनुमन्य होगी मास्टर प्लान में सड़क की चौड़ाई 24 मीटर है एवं विद्यमान मार्ग की चौड़ाई 12.00 मी0 है।

अतः प्रस्तुत मानचित्र भवन उपविधि 2011 के प्राविधानों के अनुसार मानचित्र को शमन करने हेतु बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

विषय क्रमांक 17:- बंजारावाला रोड, देहरादून पर श्री सत्य नारायण डबराल द्वारा लगभग 16 गुणा 25 मीटर में टिन शेड का निर्माण करने के कारण वाद संख्या सी-237/एस-2/2013 को बारात घर हेतु शमनित करने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के दौरान सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव भवन उपविधि 2011 के अनुसार है अतः स्वीकृति प्रदान की जाये। चर्चा के दौरान यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई को मानचित्र स्वीकृति हेतु माना जाये या नहीं। मुख्य नगर नियोजक ने भवन उपविधि 2011 के प्राविधान संख्या 2.1.2 (1) का उल्लेख करते हुए अवगत कराया गया कि उक्त नियम में यह व्यवस्था है कि मार्ग के निर्धारण हेतु प्रत्येक यूज जोन में वर्णित पहुँच मार्ग की चौड़ाई अथवा वर्तमान मार्ग जिनकी चौड़ाई महायोजना/जोनल प्लान/ले आउट प्लान में निर्धारित है, के अनुसार है, अनुमन्य होगी। महायोजना में 18.0 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित है एवं स्थल के सामने 12.00 मीटर चौड़ी रोड विद्यमान है।

अतः प्रस्तुत मानचित्र भवन उपविधि 2011 के प्राविधानों के अनुसार मानचित्र को स्वीकृत करने हेतु बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की गयी।



विषय क्रमांक 18:—ग्राम बट्टीपुर में सूर्या वेडिंग पार्इन्ट नाम से श्री रणजीत सिंह का बारातघर निर्मित है जिसका प्राधिकरण में वाद संख्या 618/एस-02 /06 योजित है को शमनित करने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के दौरान सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव भवन उपविधि 2011 के अनुसार है अतः स्वीकृति प्रदान की जाये। चर्चा के दौरान यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई को मानचित्र स्वीकृति हेतु माना जाये या नहीं। मुख्य नगर नियोजक ने भवन उपविधि 2011 के प्राविधान संख्या 2.1.2 (1) का उल्लेख करते हुए अवगत कराया गया कि उक्त नियम में यह व्यवस्था है कि मार्ग के निर्धारण हेतु प्रत्येक यूज जोन में वर्णित पहुँच मार्ग की चौड़ाई अथवा वर्तमान मार्ग जिनकी चौड़ाई महायोजना/जोनल प्लान / ले आउट प्लान में निर्धारित है, के अनुसार है, अनुमन्य होगी। भूखण्ड वर्तमान मास्टर प्लान पर 24 मी० मार्ग पर स्थित है शमन मानचित्र के अनुसार बट्टीपुर मार्ग की विद्यमान चौड़ाई 12.70 मी० है।

अतः प्रस्तुत मानचित्र भवन उपविधि 2011 के प्राविधानों के अनुसार मानचित्र को स्वीकृत करने हेतु बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

विषय क्रमांक 19 :- आई०एस०बी०टी० स्थित श्री जोगेन्द्र सिंह कुकरेजा की भूमि पर उच्च जलाशय टैंक के निर्माण फलस्वरूप उनके स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 549 क रकबा 188 वर्गमीटर के बदले अन्यत्र उतनी ही भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में।

विस्तृत चर्चा के दौरान आई०एस०बी०टी० स्थित श्री जोगेन्द्र सिंह कुकरेजा की भूमि पर टैंक के निर्माण फलस्वरूप उनके स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 549 क रकबा 188 वर्गमीटर के बदले अन्यत्र उतनी ही भूमि दिये के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी।



विषय क्रमांक 20:- मानचित्र संख्या-सी0-0167/14-15 स्थल खसरा नं0 339/01 मि0 मौजा बगराल गांव मसूरी डायवर्जन रोड़ पर रेस्टोरेन्ट का निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के दौरान सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव भवन उपविधि 2011 के अनुसार है अतः स्वीकृति प्रदान की जाये। चर्चा के दौरान यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई को मानचित्र स्वीकृति हेतु माना जाये या नहीं। मुख्य नगर नियोजक ने भवन उपविधि 2011 के प्राविधान संख्या 2.1.2 (1) का उल्लेख करते हुए अवगत कराया गया कि उक्त नियम में यह व्यवस्था है कि मार्ग के निर्धारण हेतु प्रत्येक यूज जोन में वर्णित पहुँच मार्ग की चौड़ाई अथवा वर्तमान मार्ग जिनकी चौड़ाई महायोजना/जोनल प्लान / ले आउट प्लान में निर्धारित है, के अनुसार है, अनुमन्य होगी प्रस्तावित भूखण्ड 33.00 मी0 चौड़ी महायोजना रोड़ पर स्थित है। विद्यमान मार्ग की चौड़ाई 24 मीटर है।

अतः प्रस्तुत मानचित्र भवन उपविधि 2011 के प्राविधानों के अनुसार मानचित्र को स्वीकृत करने हेतु बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

विषय क्रमांक :-21 स्थल ग्राम बद्रीपुर में हरिद्वार रोड खसरा नं0-147,148,149,150 तथा 163क पर श्री अतुल सिकन्द आदि द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये बारातघर का निर्माण करने के कारण उनके विरुद्ध वाद संख्या सी-0729/2006 को शमन करने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के दौरान सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव भवन उपविधि 2011 के अनुसार है अतः स्वीकृति प्रदान की जाये। चर्चा के दौरान यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई को मानचित्र स्वीकृति हेतु माना जाये या नहीं। मुख्य नगर नियोजक ने भवन उपविधि 2011 के प्राविधान संख्या 2.1.2 (1) का उल्लेख करते हुए अवगत कराया गया कि उक्त नियम में यह व्यवस्था है कि मार्ग के निर्धारण हेतु प्रत्येक यूज जोन में वर्णित पहुँच मार्ग की चौड़ाई अथवा वर्तमान मार्ग जिनकी चौड़ाई महायोजना/जोनल प्लान / ले आउट प्लान में निर्धारित है, के अनुसार है, अनुमन्य होगी। भूखण्ड मास्टर प्लान 24 मी0 मार्ग पर 30 मीटर से अधिक चौड़ा एवं 3000 वर्ग मी0 क्षेत्र से अधिक क्षेत्रफल का है। विद्यमान मार्ग की चौड़ाई 12 मीटर है।

अतः प्रस्तुत मानचित्र भवन उपविधि 2011 के प्राविधानों के अनुसार मानचित्र को शमन करने हेतु बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की गयी।



विषय क्रमांक 22 :- ट्रान्सपोर्ट नगर फेस प्रथम के मूल ले-आउट को यथावत रखते हुए इसके स्थान पर ट्रान्सपोर्ट नगर द्वितीय में ट्रान्सपोर्ट नगर स्थित ट्रक मैकेनिक एव देहरादून नगर के कोर एरिया के मिस्ट्री/मैकेनिकों को गुणदोष के आधार पर 12 वर्ग मीटर के भूखण्डों के आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

विस्तृत चर्चा के दौरान बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि चूंकि अनुपालन किया जा चुका है अतः प्रस्ताव को अवलोकित किया गया।

विषय क्रमांक 23:- एस्ले हॉल स्थित सहकारिता बाजार की 1762 वर्ग मी० भूमि पर हडको की वित्तीय सहायता से **Fully Automated** कार पार्किंग का निर्माण हेतु **HUDCO** से सैद्धान्तिक अनुमोदन के सापेक्ष रू० 40 करोड़ का ऋण लिये जाने तथा ऋण अनुबन्ध हस्ताक्षरित किये जाने हेतु एवं उक्त ऋण हेतु सम्बन्धित परियोजना की सम्पत्ति को **Mortgage** करने हेतु उपाध्यक्ष, प्राधिकरण को अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के दौरान स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किये जाने पर बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

1. हडको से परियोजना हेतु ऋण लिये जाने हेतु।
2. उक्त ऋण सम्बन्धी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने हेतु।
3. उक्त ऋण हेतु सम्बन्धित परियोजना की सम्पत्ति को **Mortgage** करने हेतु।

विषय क्रमांक 24:- रिस्पना तथा बिंदाल नदियों के **River Front Development** में प्रभावित होने वाली मलिन बस्तियों को स्थानांतरित किये जाने हेतु ट्रान्सपोर्ट नगर तथा आम वाला में प्रस्तावित **Affordable** आवासीय योजना हेतु **HUDCO** से सैद्धान्तिक अनुमोदन के सापेक्ष रू० 175.00 करोड़ का ऋण लिये जाने तथा ऋण अनुबन्ध हस्ताक्षरित किये जाने हेतु एवं उक्त ऋण हेतु सम्बन्धित परियोजना की सम्पत्ति को **Mortgage** करने हेतु उपाध्यक्ष, प्राधिकरण को अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के दौरान स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किये जाने पर बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की गयी।


1. हडको से परियोजना हेतु ऋण लिये जाने हेतु।
2. उक्त ऋण सम्बन्धी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने हेतु।
3. उक्त ऋण हेतु सम्बन्धित परियोजना की सम्पत्ति को **Mortgage** करने हेतु।




विषय क्रमांक 25 :- ISBT हेतु Acquire की गयी भूमि में से अवशेष भूमि पर ISBT Affordable आवासीय योजना हेतु HUDCO से सैद्धान्तिक अनुमोदन के सापेक्ष रू० 68.42 करोड़ का ऋण लिये जाने तथा ऋण अनुबन्ध हस्ताक्षरित किये जाने हेतु एवं उक्त ऋण हेतु सम्बन्धित परियोजना की सम्पत्ति को Mortgage करने हेतु उपाध्यक्ष, प्राधिकरण को अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के दौरान स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किये जाने पर बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

1. हडको से परियोजना हेतु ऋण लिये जाने हेतु।
2. उक्त ऋण सम्बन्धी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने हेतु।
3. उक्त ऋण हेतु सम्बन्धित परियोजना की सम्पत्ति को Mortgage करने हेतु


उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।


आयुक्त,
गढ़वाल मण्डल/अध्यक्ष
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।